छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या ६००/१९८९

राम नाथ

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

.....

निर्णय

.....

विचारण के लिए

सही/–

श्री दिलीप राव.देशमुख,

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

फखरूददीन

न्यायाधीश

.....

.

दिनांक २७/०६/२००५ के लिए सूचिबद्ध

सही/-

फखरूददीन

न्यायाधीश

२५/०६/२०२५

दांडिक अपील संख्या ६००/१९८९

राम नाथ

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

.....

कोरमः माननीय श्री फखरूददीन

माननीय श्री दिलीप राव देशमुख, न्यायधीश

.....

अपीलार्थी के लिएः श्री बी. एन. पाण्डेय।

राज्य के लिएः श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता

.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

यह अपील श्री के एल कोरी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक ४७/८९ में दिनांक ६ जून १९८९ को दिए गए निर्णय के विरूद्ध है, जिसके तहत अभियुक्त अपीलार्थी को ७ जनवरी १९८९ को रात्रि लगभग ८.३० बजे गाम उलखर, थाना सारंगढ़, जिला में अपने दादा 'चुडू' की हत्या करने के लिए धारा ३०२ भा.द.स. के तहत दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया गया था।

२. यह अविवादित है कि अभियुक्त राम नाथ, हरिहर अ.सा.१ का पुत्र है और मृतक लक्ष्मी बाई अ. सा.२ का पोता है। दादूराम अ.सा.३, मृतक 'चुडू' का चाचा है और मृतक के घर के निकट की बस्ती में रहता था।

३. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि घटना की तारीख से लगभग दो वर्ष पहले से, अभियुक्त अपीलार्थी रामनाथ और उनके पिता हरिहर अ.सा.१ एक ही घर में मृतक 'चुडू' और लक्ष्मी बाई अ.सा.२ रहते थे, हालांकि वे अलग कमरों में रहते थे। 'चुडु' बूढ़ा

होने के कारण खेती करने में असमर्थ था, और इसलिस, हरिहर अ.सा.१ अपने माता–पिता की देखभाल कर रहा था। 'चुडू' और अभियुक्त अपीलार्थी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे और वे अक्सर लड़ते रहते थे। घटना की रात यानी ७ जनवरी १९८९ को लगभग ८.३० बजे अभियुक्त अपीलार्थी और 'चुडू' के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद अभियुक्त अपीलार्थी ने 'चुडू' के सिर, छाती और हाथ पर लाठियों से वार किए। चोंटों के कारण 'चुडू' की रात में घर के अंदर मौत हो गई। कोठे से धान निकाल रहे हरिहर अ.सा.१ ने घटना देखी और ८ जनवरी १९८९ को सुबह ९ बजे थाना सारंगढ़ मे प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श.पी./१ दर्ज कराई। उपनिरीक्षक मुकेश खरे अ.सा.८ उसी दिन घटनास्थल पर पहुंचे और 'चुडू' के शव का पंचनामा तैयार किया। डॉ इकबाल सिंह ने ८.१.१९८९ को शाम ४ बजे 'चुडू' का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित घाव पाए –

१) माथे की दाहिनी ओर दाहिने टेम्पोरल क्षेत्र के पास ४ लम्बा घाव एक हड्डी की गहराई तक;

२) दाहिने हाथ के पीछे भाग पर $1^{1/2}$ का आड़ा और रैखिक एक फटा हुआ घाव था दाहिनी कोहनी के समीपस्थ ह्यूमरस की अस्थि निरंतर नहीं थी। क्रेप्टाटिन मौजूद था। दाहिनी ह्यूमरस में फ्रैक्चर पाया गया;

३) छाती के दाहिनी ओर इन्फ्रा क्लैविक्युलर क्षेत्र में ३"X २" आकार का एक चोट का निशान; तथा

४) दाहिने हाथ के पिछले भाग पर मध्यम आकार का १' रेखीय एवं आड़ा फटा हुआ घाव था।

४.विच्छेदन के बाद, उन्होंने पाया कि ललाट और दाहिनी हड्डी सबड्यूरल और एक्स्ट्राट्राड्यूरल रक्तस्राव के साथ फ्रैक्चर हो गई थी और दाहिनी दूसरी, तीसरी और चौथी पसली भी फ्रैक्चर हो गई थी और उसमें थक्का जम गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उनकी राय में मौत का कारण इंट्रा कपाल रक्तस्राव और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों में चोट के कारण सदमा था। मुत्यु मानववध प्रकृति की थी। खून से सनी मिट्टी, साधारण मिट्टी और सामान्य मिट्टी को प्रदर्श.पी./९ के अनुसार जब्त किया गया। अभियुक्त अपीलार्थी के कहने पर, मुकेश खरे अ.सा. ८ द्वारा प्रदर्श.पी./८ के अनुसार ५ गांठों वाली एक मोटी बांस का डंडा जब्त किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर (म.प्र.) में रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे जाने पर, प्रतिवेदन प्रदर्श.पी./१७ के अनुसार अभियुक्त अपीलार्थी से जब्त बांस के डंडे पर खून की मौजूदगी की पुष्टि हुई। अन्वेषण पूरा होने के बाद, अभियुक्त अपीलार्थी के विरूद्ध विचारण प्रारंभ किया गया।

५. अभियुक्त अपीलार्थी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

६. अभियोजन पक्ष ने हरिहर अ.सा.१, लक्ष्मी बाई अ.सा.२, दादूराम अ.सा.३, घुराऊ अ.सा.४, गोपाल प्रसाद वर्मा अ.सा.५ का परीक्षण कराया। ये सभी गवाह पक्षद्रोही और उन्होंने अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ अभिकथन नहीं किया। डॉ. इकबाल सिंह अ.सा.७ ने शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श.पी.१३ को प्रमाणित किया और सब–इंस्पेक्टर मुकेश खरे अ.सा.८ ने हरिहर द्वारा ८.१.१९८९ को सुबह ९ बजे प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श.पी./१ दर्ज कराने और अभियुक्त अपीलार्थी के मेमोरेंडम पर बांस का डंडा जब्त करने के तथ्य को प्रमाणित किया।

७. डॉ. इकबाल सिंह अ.सा.७ के चिकित्सकीय साक्ष्य पर विचार करने के बाद न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 'चुडू' की मौत मानव वध प्रकृति की थी और मृत्यु गिरने से नहीं हो सकती, जैसा कि विरोधी गवाह हरिहर अ.सा.१ और लक्ष्मी बाई अ.सा.२ ने सलाह दिया। कंडिका १६ में पाया गया कि गवाह हरिहर अ.सा.१ और लक्ष्मी बाई अ.सा.२ ने झूठा बयान दिया था कि धान निकालते समय 'चुडू' कोठे के अंदर गिर गया था और चोंटें आई। कंडिका १८ में, विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त का बचाव कि मृतक

धान हटाने के लिए ऊपर गया था और गिर गया, पूरी तरह से अविश्वसनीय था। इसने अभियुक्त अपीलार्थी के पिता हरिहर अ.सा.१ द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श.पी.१ दर्ज करने के तथ्य का भी उल्लंघन किया। दादूराम अ.सा.३ की गवाही का भी उल्लंघन किया गया कि घटना की तारीख को आधी रात में हरिहर अ.सा.१ उसके घर आया था और उसे बताया था कि रामनाथ ने उसके पिता 'चुडू' को मार दिया है, जिसके बाद वह हरिहर के घर गया और पाया कि 'चुडु' अपने कमरे के अंदर पड़ा था और उसके सिर से खून बह रहा था और शरीर पर अन्य चोंटें मौजूद थीं। 'चुडू' बेहोशी की हालत में था और बोल नहीं पा रहा था। विचारण न्यायाधीश ने माना कि अभियुक्त अपीलार्थी घटना की तारीख और समय पर घर के अंदर मौजूद था और घटना के बाद अपने घर से चला गया, जैसा कि दादूराम अ.सा.३ ने बताया, जिससे अभियुक्त संदेह से भी परे यह प्रमाणित होता है कि वह अभियुक्त ही है जिसने 'चुडू' की हत्या कारित किया है। इस निष्कर्ष के आधार पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा ३०२ भा.द.स. के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास से दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

८. यह प्रस्थापित विधि है कि अभियुक्त के अपराध को सभी युक्तियुक्त संदेहो से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। यह भार कभी नहीं बदलता। विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण दोषपूर्ण रहा है क्योंकि उसने बचाव पक्ष के बयान में कमी के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ निष्कर्ष निकाला। अभियुक्त को अपना बेगुनाही प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है।

अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अभियुक्त के अपराध को उजागर करे।

९. हरिहर अ.सा.१ ने कहा है कि लगभग ११ बजे उसके पिता 'चुडू' मवेशियों को खिलाने के लिए कोठे से धान निकाल रहे थे, तो वे गिर पड़े और उन्होंने पाया कि 'चूडू' के सिर और हाथ में चोट लगी है और वह बेहोश है। उन्होंने प्रदर्श.पी.१ के अनुसार प्रथम सूचना

प्रतिवेदन दर्ज कराये जाने से इन्कार किया है। इस प्रकार, अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ उनकी गवाही में कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी बाई अ.सा.२ मृतक की विधवा है। उसने यह भी बताया है कि रात में उसका पति 'चुडू' मवेशियों को खिलाने के लिए धान निकालने के लिए कोठे के ऊपर गया और गिर गया। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि 'चुडू' को उपरोक्त कोठे से गिरने के कारण चोंटें आई थीं। यह गवाह मृतक की पत्नि है। यदि वह उसके पति के मृत्यु के लिए जिम्मेदार है तो वह अभियुक्त अपीलार्थी को बचाना नहीं चाहेगी। इस प्रकार, दोनों हरिहर अ.सा.१ और लक्ष्मी बाई अ.सा.२ जो प्रत्यक्षदर्शी थे, ने अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ गवाही नहीं दी है। दादूराम अ.सा.३ की यह गवाही कि हरिहर ने उसे बताया था कि रामनाथ ने उसके पिता 'चुडू' को मार दिया है, केवल सुनी–सुनाई बात है। उसने कहा है कि हरिहर के घर पहुँचने पर उसने पाया कि अभियुक्त भी घर के अंदर मौजूद था। इस गवाह को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है और अभियोजन पक्ष ने भी उससे प्रतिपरीक्षण किया है। अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ उसकी प्रतिपरीक्षण में कुछ भी नहीं निकला है। घुराऊ अ.सा.४ ने यह भी गवाही दी है कि हरिहर ने उसे बताया था कि उसके पिता 'चुडू' घर के ऊपर से गिर गए थे जिसके बाद वह हरिहर के घर गया और देखा कि 'चुडू' बेहोश पड़ा था। यह गवाह ने इस बात से इन्कार किया है कि हरिहर ने उसे बताया था कि अभियुक्त और 'चुडू' के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें अभियुक्त ने लाठी से चुडु के सिर पर हमला किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

१०. जहां तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की प्रतिवेदन प्र.पी./१७ का संबंध है, यह स्थापित नहीं करता है कि आरोपी अपीलार्थी से जब्त किए गए बांस के डंडे पर मानव रक्त पाया गया था। मुकेश खरे अ.सा.८ की गवाही कि उसने अभियुक्त के कहने पर घर के 'पटाव' से एक बांस का डंडा जब्त किया था, का अब कोई महत्व नहीं रखती है और विचारण न्यायाधीश ने भी कंडिका १५ में यही निष्कर्ष दिया है। इस प्रकार इस मामले में बिल्कुल भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो दिखाए कि वह अभियुक्त अपीलार्थी था जिसने मृतक

पर लाठी से घातक प्रहार किए थे और सिर्फ वही चुडू की मृत्यु कारित करने के लिए जिम्मेदार था। डॉ. इकबाल सिंह अ.सा.७ की गवाही केवल यह प्रमाणित करती है कि चुडू को कारित चोंटें गिरने से नहीं हो सकतीं, लेकिन यह अकेले अभियुक्त अपीलार्थी के अपराध को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

११. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'चुडू' की मौत से अभियुक्त को जोड़ने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। विचारण न्यायाधीश ने अपनी कल्पना को बहुत आगे तक बढ़ाया है और केवल चिकित्सिय साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि बचाव पक्ष का बयान अविश्वसनीय था और आरोपी अपीलार्थी को दोषी पाया। विचारण न्यायालय का यह दृष्टिकोण पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था क्योंकि अभियुक्त अपीलार्थी को अपनी बेगुनाही प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं थी। इस मामले में, चूंकि अभियोजन पक्ष ने 'चुडू' की मौत से अभियुक्त को संलिप्त करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं पेश किया हैं इसलिए अभियुक्त अपीलार्थी को भा.द.स. धारा ३०२ के तहत की गयी दोष सिद्धि तथा इसके तहत दण्डादेश विधि की दृष्टि में कायम नहीं रखी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

१२. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। धारा ३०२ भा.द.स. के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके तहत दी गई सजा को अपास्त किया जाता है। अभियुक्त अपीलार्थी को धारा ३०२ भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उसके बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।

सही/-
फखरूद्दीन न्यायाधीश
२७.०६.२००५
सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख न्यायाधीश
२७.०६.२००५
योगेन्द्र सिंह
कांवर

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur